न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

बईजलास श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0

राजस्व प्रकरण संख्या (380/01)
33/2010

दायर तारीख 15.04.2010
04.08.2001

1. मोडी पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी सुखपुरा हाल माजीसाहब का खेडा तहसील बिजौलियां
2. प्रेम पुत्री जग्गनाथ पत्नि हरिशंकर जाति धाकड़ उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी सुखपुरा हाल छोटी बिजौलियां
3. पार्वती पुत्री जग्गनाथ जाति धाकड उम्र बालिग पत्नि शंकर व्यवसाय खेती निवासी सुखपुरा हाल लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां

.....वादीगण

बनाम

1. जडावबाई पत्नि स्व0 भगवानलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क नि0 नयागांव।
2. मु0 चंदा पुत्री भगवानलाल जाति धाकड़ उम्र बालीग नि0 चॉदजी की खेडी।
3. मु0 फोरी पुत्री भगवानलाल जाति धाकड़ उम्र बालीग नि0 नयागांव।
4. नन्दू पत्नि भगवानलाल जाति धाकड उम्र बालीग निवासी सुखपुरा।
5. ममता पुत्री भगवानलाल जाति धाकड उम्र बालीग निवासी सुखपुरा मार्फत संरक्षिता एवं माता श्रीमति नंदू बैवा भगवानलाल जाति धाकड निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया
6. सुगना पुत्री भगवानलाल जाति धाकड उम्र नाबालीग निवासी सुखपुरा मार्फत संरक्षिका एवं माता नंदू बैवा भगवानलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सुखपुरा तहसील माण्डलगढ।
7. सत्यनारायण पिता भगवानलाल जाति धाकड उम्र नाबालीग निवासी सुखपुरा मार्फत संरक्षिका एवं माता नंदू बैवा भगवानलाल जाति धाकड।
8. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार भूमिधारी बिजौलियॉ
9. श्रीमती किसनी बाई विधवा जग्गनाथ जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया।

9/1 बरदीचन्द पुत्र जग्गनाथ उम्र बालीग व्यवसाय खेती निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां।
9/2 शम्भुलाल पुत्र जग्गनाथ जाति धाकड उम्र बालीग निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां।
9/3 शिवलाल पुत्र जग्गनाथ जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 03.01.2019

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण उपखण्ड न्यायालय माण्डलगढ में प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय में मुंतकिल हुआ वादपत्र में निवेदन किया कि ग्राम सुखपुरा के खाता नम्बर 79 पर स्थित वर्तमान आराजी नं0 126 , 127, 298/2, 407/2, 432/1, 433/1, 211/1, 212, 441/1, 431, 466/291, किता 11 रकबा 33 बीघा 15 बिस्वा एवं सुखपुरा के खाता नम्बर 44 जमाबन्दी संवत् 2028 से 2033 पर स्थित आराजी नम्बर 181, 182,189, 299, 319, 320, 431, 466/291, 468/409 किता 9 रकबा 27 बीघा में भगवानलाल पिता जग्गनाथ जाति धाकड के नाम दर्ज रिकोर्ड हैं। जगनाथ धाकड की मृत्यु के पश्चात् पुत्र/पुत्रीया बरदीचन्द, शम्भुलाल, शिवलाल, भगवानलाल, श्रीमती मोडी, श्रीमती प्रेम, श्रीमती पार्वती प्रथम श्रेणी की वारिसान हैं जबकि प्रतिवादी नम्बर 7 तहसीलदार ने कुसंयोजन कर भूमि स्वर्गीय बरदीचन्द, शिवलाल, स्वर्गीय भगवानलाल के खाते में अभिलिखित कर दिया है। वह उनकी स्वअर्जित सम्पति नहीं होकर पुस्तैनी जायदाद हैं। पुश्तैनी जायदाद में वैधानिक रूप से हिस्सेनुसार खातेदारी पाने का अधिकारी हैं। पुश्तैनी जायदाद में वादिया का जन्म से ही हक अधिकार हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

स्वर्गीय भगवानलाल के अतिरिक्त शेष अन्य जायदाद कृषि भूमि वादीगण के पिता एवं उनके पूर्वजों की खातेदारी की भूमि बरदीचन्द, शम्भुलाल एवं शिवलाल के नाम अभिलिखित की गई हैं। उसके बारे में राजस्व अभिलेख प्राप्त कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान वाद शेष पुश्तैनी जायदाद कृषि बाबत् वादीगण आरक्षित रख वाद प्रेषित कर रहीं हैं। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 से 7 के द्वारा पुश्तैनी जायदाद जो स्वर्गीय भगवान पिता जगनाथ जी धाकड के नाम पर अभिलिखित है उसकी खातेदारी प्राप्त करते ही उसका अन्तरण कर देगे प्रतिवादिया नम्बर एक ने 22 साल पूर्व ही स्वर्गीय भगवानलाल को छोड दिया था तब से वह नयागांव तहसील बिजौलिया में रह रही है। स्वर्गीय भगवानलाल एवं प्रतिवादी या नम्बर एक का विवाह अदला बदली का विवाह था प्रतिवादिया नम्बर एक के भाई मांगीलाल का विवाह मुस्मात मोडी वादिया क्रमांक एक के साथ हुआ था वादिया नम्बर एक अन्यत्र नाता कर लिया तो मु0 जडाव प्रतिवादीया नम्बर एक ने स्वर्गीय भगवानलाल को छोड दिया प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 का विवाह भी विधिवत व जाति रिवाज के अनुसार करवा दिया प्रतिवादीया नंबर 2 व 3 अपने ससुराल मे रहती है प्रतिवादिया नंबर 1 से 3 की कोई सहानुभूति स्वर्गीय भगवानलाल के साथ नही रही। यह कि वादियान की जिस प्रकार से पुश्तैनी जायदाद में खातेदारी प्रदान नही की गयी वह सर्वथा अनुचित है जबकि वादीगण के पिता जगनाथ जी मृत्यु 20–26 साल पूर्व हुयी थी उस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम प्रभावी थे। यह कि आराजी खसरा नम्बर 181, 182, 189, 319, 320, 431, 466/291, 468/409 कुल किता 9 रकबा 27 बीघा भूमि जो स्वर्गीय भगवानलाल के नाम अभिलिखित की गयी कृषि भूमि के संरचाज से बचने के लिये पुश्तैनी जायदाद कृषि भूमि का खाता स्वर्गीय भगवानलाल के नाम पर करवा दिया गया जबकि विवादग्रस्त पुश्तैनी जायदाद होने से वादीगण व प्रतिवादी का उसमें हक एवं हिस्सा है। यह कि वादियान द्वारा स्वर्गीय भगवानलाल जी की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी नम्बर 8 को निवेदन किया गया कि स्वर्गीय भगवानलाल के खाते में अभिलिखित भूमि पुश्तैनी जायदाद है इसलिये भूमि का खाता समान रूप से वादिया के बनने वाले हिस्से की सीमा तक अभिलिखित किया जाय तो प्रतिवादी नम्बर 8 ने खाता परिवर्तन इस रूप में करने से मना कर दिया। प्रतिवादी गण क्रमांक 1 से 3 तक ने भी स्थिति को जानते हुये भी वादियान व प्रतिवादी न0 9 को पुश्तैनी जायदाद कृषि भूमि में उनका हिस्सा देने से इन्कार कर दिया साथ ही प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 तक ने वादीगण का वादग्रस्त जायदाद में हिस्सो होने से भी इंकार कर खातेदारी परिवर्तन के बाबत विवाद उत्पन्न कर दिया। प्रतिवादी न0 1 से 3 तक स्वर्गीय भगवानलाल से अपने नाम पर आने वाली जायदाद कृषि भूमि को विक्रय कर देने पर उतारू हैं खाता स्थानान्तरण होते ही विक्रय कर देगें जिससे अनावश्यक झगडे वढते रहेगें जायदाद के अनुचित अन्तरण राजस्व अभिलेखों में हेरा–फेरी एवं भूमि पर किये जाने वाले कब्जे से भूमि को बचाने के लिए प्रतिवादीगण कों जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद किया जाना आवश्यक है । वादीगण का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा वादग्रस्त जायदाद मे बनता है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में अनुतोष चाहा गया है कि कि मौजा सुखपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 126, 127, 290/2, 407/1, 432/1, 211/1, 212, 441/1, 431 मी. 466/291, 181, 182, 189, 299, 319, 320, 431, 466/291, 468/409 में वादीयान प्रत्येक को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीयान विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे। साथ ही प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 7 तक की वादग्रस्त जायदाद को किसी हिस्से का अन्तरण नही करने अवैध रूप से कुलिया भूमि अपने नाम पर नही करावे वादीगण के कब्जे काश्त की भुमि को हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वाद पत्र को डिक्री फरमाया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वाद पत्र भेज करवायी गई।

प्रतिवादीगण 1, 2, 3 की ओर श्री कैलाशचन्द, दिनेशचन्द तम्बोली ने अधिकार पत्र मय जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण 4 से 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 02.08.2000 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में अपने वाद में अंकित तथ्यो को इंकार करते हुए वादीगण ने वादपत्र में बरदीचन्द, शंभूलाल व शिवलाल को फरीक मुकदमा नही बनाया गया है। स्वर्गीय जगनाथ जी के अचल सम्पति बरदीचन्द शंभुलाल व शिवलाल के कब्जे उपयोग उपभोग में है। विरासत का नामान्तकरण खोले करीब 27 साल हो चुके है। वादीगण ने भगवानलाल का देहान्त कब हुआ इत्यादि तथ्यो को छिपाया है। विवाद ग्रस्त भूमि के एक मात्र उत्तराधिकारी नं0 1 से 3 है। प्रतिवादी नं0 1 जडावबाई स्व0 भगवानलाल की विवाहिता पत्नि है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पुत्रिया हैं स्व0 भगवानलाल की कृषि भूमि के एक मात्र उत्तराधिकारी 1 से 3 है। वादीगण ने वाद पत्र में आंशिक तथ्यो को वर्णन कर वाद पत्र पेश किया हैं। प्रतिवादीया जडावबाई ने 22 वर्ष पूर्व स्व0 भगवानलाल का परित्याग नही किया है। वाद ग्रस्त जायदाद पुश्तैनी नही है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण में लागु नही होते हैं।

अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

शहादत वादी में वादी की ओर से पीडब्ल्यु–1 प्रेमदेवी पीडब्ल्यु –2 पार्वती को प्रस्तुत कर कथन लेखबद्ध करवाये गये। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य मे ड़ीडब्ल्यू 1 व डीडब्ल्यू 2 चन्दा के कथन लेखबद्ध करवाये गयें।

पी डब्ल्यू 1 – वादीया प्रेमदेवी ने अपने बयान में लिखवाया की मेरे दादा सोला जी थे। जगनाथ मरे हुये 25 वर्ष हो गये जगनाथ की जमीन करीब 62 बीघ जमीन थी। मुझे इसकी जानकारी है। ओर जमीन होगी तो मुझे पता नही है। जगनाथ के चार लडके व तीन लडकीया हुई। भगवानलाल के पास जो खाते मे जमीन है। वह हमारे दादा व पिता की है। भगवानलाल को मरे 5 – 7 साल हो गये। भगवान की पत्नि नन्दु जीवित है। इनके दो लडकिया व एक लडका है। भगवानलाल के पहले वाली पत्नि जड़ाव थी। जिसे उसने तलाक दे दिया उसके 2 लडकिया हुई जो चन्दा व फोरी है। यह जमीन भगवानलाल के नाम पर हमारे पिता की मुत्यु के बाद आयी हमारे भाईयो ने इस जमीन में हमारा हिस्सा नही दिया। हमने हमारा हिस्सा जमीन में से नही छोडा हम लोग हमारा हिस्सा लेना चाहती है। कुलिया जमीन में जो भी हिस्सा बनता है। हम लेना चाहती है। जीरह में लिखवाया की हमारे पिता की मृत्यु के बाद इस जमीन का सभी भाईयो में बटवाडा हो गया मेरे तीन भाई बरदीचन्द, शंभुलाल शिवलाल जीवित थे। अब भगवान मर गया। यह सही है कि मैने बरदीचन्द शिवलाल शंभुलाल के खिलाफ दावा नही किया अब दावा करेगे। बरदीचन्द शिवलाल के 17–17 बीघा जमीन है। किन्तु भगवानलाल के पास सबसे ज्यादा जमीन है। यह कहना गलत है कि भगवानलाल स्वयं ने 30 बीघा जमीन खरीदी हो सारी जमीन हमारे पिता की है मेरे मा किशनी बाई है जो अलग रही है। मेरी उम्र 40 साल व पार्वती की उम्र 30 साल होगी। यह सही है कि भगवानलाल की शादी पहले जडाव के साथ हुई थी। यह भी सही है भगवान के ससंर्ग से जडाव के चन्दा व फोरी हुई चन्दा अभी 26 साल व फोरी 22–23 साल होगी। जडावबाई की उम्र 50 साल होगी। यह कहना गलत है कि हमारे समाज में लडकियो को हिस्सा नही देते हो मेरी शादी छोटी बिजौलियां में शंकर के साथ जिसको 20 साल हो गये। यह सही है कि भगवानलाल नन्दू को नाते लाया था नन्दू के दो पुत्रिया ममता सुगना व लडका सत्यनारायण है। ममता की शादी हो गई मेरी बहन मोडी की शादी जडाव के भाई मांगीलाल से करवायी थी। मोडी बाद में माजीसाहब का खेडा कन्हैयालाल जी के नाते चली गई। यह सही है हमारा अभी इस जमीन पर कब्जा काश्त नही है।

पी डब्ल्यू 2 – पार्वती ने बसवाल वकील वादी बयान किया कि मेरे पिता के कुल 7 सन्तान हुई हैं। जिसमें 4 लड़के व 3 लड़किया हुई हैं। मेरे पिता को मरे 25–26 साल हो गए। भगवानलाल जी हमारे भाई लगता था। भगवानलाल भी शान्त हो गया मेरें पिता के पास सुखपुरा में जमीन थी। उसमें भगवान लाल जी के 30–35 बीघा जमीन हिस्से आयी मेरे पिताजी जी की जमीन में से हमारे भाईयों ने हमें कोई जमीन नही दी। भगवानलान जी को शांत हुए 2–4 साल हो गये होगें। हम बहने की शादी हमारे पिता ने की हम छोटी छोटी थी तक करवायी मेरे पिता की गृत्यु के बाद हमारे भाई अलग– अलग हो गए। अलग– अलग होने पर हमारे भाईयों ने हमें बिना पूछे ही हमारे पिता की जमीन को बांट लिया। भगवानलाल जी के लडके लड़की हैं। उनकी शादीशुदा औरत का नाम जड़ावबाई हैं। जो अभी जीवित हैं। जड़ाव बाई से भगवानलाल के 2 लड़किया हुई। जड़ावबाई को मेरे भाई ने छोड़ दिया था। और दूसरी औरत नन्दू को ले आये हमारे हिस्से में भगवानलाल जी की जमीन जो मेरे पिता की थी। उसके में कानूनी हिस्सा बनता हैं वही हमारी जमीन हैं भगवानलाल के हिस्से में हम तीन लडके की पाती हैं भगवानलाल व उसके बाद उसकी पत्नि व लडको ने कोई हिस्सा नही दे रखा है। जिरह में लिखवाया की छोटे भाई बरदीचन्द के भी 30–35 बीघा जमीन हिस्से में आयी, मेरे भाई शम्भूलाल के भी 35–35 बीघा जमीन हिस्से में आयी। शिवलाल के भी 30–35 बीघा जमीन हिस्से में आयी। भगवानलाल ने भी 30–35 बीघा हिस्से में आयी। यह कहना गलत है कि 27 बीघा जमीन मेरे भाई भगवानलाल ने क्रय हो। यह सही है कि हमने बरदीचन्द, शंकरलाल, शिवलाल के खिलाफ पाती बंटवारा व हक हिस्से बाबत् दावा नहीं किया। यह सही है भगवानलाल की शादी जड़ाव के साथ हुई एवं उसके 2 लड़किया हुई हैं। यह सही है कि नन्दू भगवानलाल की नातायत औरत हैं। जड़ाव व भगवान के तलाक के बारे जानकारी नही हैं। क्योंकि उस समय छोटी थी। यह सही है। कि जड़ाव की पुत्रियों चन्दा व फोरी का विवाह भगवानलाल की थी। मेरी शादी लक्ष्मीनिवास में शंकरलाल के साथ की मेरे पत्नि शंकर के एक बहन लीला है जिसे लूण में शादी करायी मेरे ससुर का नाम कजोड जी हैं। कजोड जी के भी लक्ष्मीनिवास जमीन है करीब 20 बीघा है। यह सही हैं मेरे ससुर ने मेरी नणद लीला को उनकी जमीन जायदाद में हक नही दिया। यह कहना सही है हमारे समाज में बहन बेटियों के हक नही देते है।जड़ाव हमारे बीच 20–30 साल से बोल चाल नहीं है। जड़ाव मेरे कुछ नही लगती है इसलिए बोल चाल नही हैं। मेरी मां किसनी बाई जीवित है। उसके कब्जे में कोई जमीन नहीं है चूंकि मेरे पिता ने माता को कोई जमीन नही दी। जिसको मरे 20–25 साल हो गए होगें। यदि भगवानलाल की जमीन हिस्सा बनाता है तो वह लेगी। हम ससुराल रहती है। हम जड़ाव को बोने जोने से नही रोकती है। वादीगण द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नही करने से साक्ष्य वादी बन्द की गई। प्रतिवादी की साक्ष्य प्रारम्भ हुई जिसमें गवाह डीडब्ल्यू 1 जड़ाव व डीडब्ल्यू 2 चन्दा के बयान कराये गयें।

लगातार पेज संख्या 05 पर

Scanned by CamScanner

डीडब्ल्यु– 1 जड़ाव ने अपने बयान में लिखवाया कि मेरी शादी भगवानलाल के साथ हुई थी उनके नुफते से मेरे दो पुत्रिया चन्दा, फोरी हैं। दोनों लड़कियो कि मैने शादी करादी है भगवानलाल जी के खाते में की जमीन ग्राम सुखपुरा में है। भगवानलाल जी को मरे 9–10 साल हो गए। भगवानलाल ने मेरे को बिना बताए एक औरत और ले आए जिसका नाम नन्दू है। भगवानलाल जी की जमीन में मेरा व मेरी पुत्रियों का 1/2 हिस्सा है। मैने व मेरी पुत्रियों ने एक दावा और अलग से कर रखा है। मेरे 3 नणदे मोडी, प्रेम व पार्वती है। जो अपने अपने ससुराल रहती है। मेरे ससुर का नाम जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी के चार लड़के ,बरदीचन्द भगवानलाल, शिवलाल, शंभुलाल हैं। भगवानलाल मेरे पति व मेरे बीच विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। मै भगवानलाल जी विवाहित पत्नी हूं। जिरह में लिखवाया कीयह सही है कि मेरे ससुर के खाते में जमीन थी उनकी मृत्यु के बाद उनके चारों लड़कों के नाम पर अलग–अलग दर्ज हो गयी भगवानलाल के अतिरिक्त उनके लड़के बरदीचन्द, शिवलाल व शम्भुलाल के नाम पर अलग से जो जमीने दर्ज है वे जगन्नाथ जी के खाते से उनके नाम आयी। जगन्नाथ की मृत्यु हुए 27–28 साल हो गए हैं। यह सही हैं। कि जगन्नाथ जी की जब मृत्यु हुई तब मेरी तीनों ननदे (वादीगण) थी। उनकी शादी हो चुकी थी। मेरे को यह याद नही हैं कि मेरी ननदों ने भगवानलाल को उनके पिता की जमीन नही चाहिए। ऐसा लिखकर दे रखा हों। यह मुझे याद नही है कि मेरे ससुर की कोई जमीन ननदों को बराबर हिस्से पर दे रखी है। भगवानलाल के मरने के बाद उसकी दूसरी पत्नी नन्दू मेरे साथ लडाई झगडा करने लग गयी तब में अपने पीहर आ गयी भगवान लाल की कुलिया जमीन नन्दू के कब्जे में हैं।

डी डब्ल्यू –2 चन्दा ने सशपथ बयान किया कि मेरे पिता का नाम भगवानलाल व मेरी माता का नाम जड़ाव बाई है। मेरे पिता करीब 10 साल पहले मृत्यु हो गयी। एक मेरे बहन है जो फोरी हैं। मेरे पिता के नाम सुखपुरा में 34 बीघा जमीन है। इस जमीन में मेरी मां जड़ाव मेरा व बहन फोरी का 1/2 हिस्सा हैं। आधा हिस्सा मेरी छोटी मां नन्दू का हैं। मेरी माता अभी नया गांव रहती हैं। प्रतिवादीगण ने लड़ाई झगड़ा कर भगा दिया। मै मेरे पिता की जायदाद में मेरा हिस्सा लेना चाहती हूं। जिरह में लिखाया की जगन्नाथ जी मरे तब मै साल भर की थी। यह सही है कि विवादित जमीन भी जगन्नाथ जी के पूर्वजो की थी। जगन्नाथ जी की पत्नी का नाम किसनी बाई था। जगन्नाथ जी के चार लड़के बरदीचन्द, भगवानलाल, शिव जी, शम्भुलाल व तीन लड़किया मोडी बाई, प्रेमवाई, पार्वतीबाई हैं। भगवानलाल को मरे 10 साल हो गए। यह सही है कि जगन्नाथ जी की तीनों लड़कियों ने भगवानलाल जी के पक्ष में कोई हक त्याग नही किया। जगन्नाथ जी के उनकी लड़कियो को जमीन दे रखी हो तो मुझे पता नही। यह सही है कि विवादित जमीन भगवान लाल जी ने क्रय नही की बल्कि पुश्तैनी है। यह सही है कि बरदीचन्द, शिवलाल, शम्भुलाल के खातो में जो जमीन है वह भी पुश्तैनी है। यह सही है कि जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद चारो लड़कों ने जमीन अपने नाम पर लेकर बंटवारा कर लिया । विवादित जमीन जो भगवाललाल के खाते में आई जमीन भी पुश्तैनी है।

प्रतिवादीगण ने अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत प्रतिवादी बन्द की गई।

उभय पक्षकरान अधिवक्तागण ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की जो संलग्न पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में अंकित किया की जगन्नाथ पुत्र सोला सोला धाकड़ की खातेदारी में दर्ज रही भूमि पुश्तैनी जायदाद है जगन्नाथ की मृत्यु हुई तब उनके चार पुत्र भगवानलाल, शम्भुलाल, शिवलाल, बरदीचन्द और पुत्रिया मोड़ी, प्रेम व पार्वती एवं उनकी पत्नि जीवित थी। इस कारण जायदाद में उन सभी वारीसान के नाम पर जमीन दर्ज की जानी थी। क्योंकि जगन्नाथ धाकड़ की मृत्यु सम्बत् 2033 में हुई तब हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 प्रभावी थी। इस कारण जगन्नाथ के 8 उतराधिकारियों का हिस्सा समान रूप से था। जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात जमीन का खाता केवल जगन्नाथ के चार पुत्रों के नाम खोल दिया। बाद में चारों पुत्रो ने अलग–अलग अपने खाते में जमीन दर्ज करवा ली इस प्रकार जगन्नाथ जी की तीनो पुत्रिया व उनकी पत्नि का नाम दर्ज नही किया गया। उनको वैध हको से वंचित कर दिया गया। वादीगण ने भगवानलाल के खाते में दर्ज हुई भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत किया। जगन्नाथ की मृत्यु के बाद जायदाद के पुश्तैनी होने से भगवानलाल के नाम चारों भाईयों द्वारा किये बंटवारे के आधार पर दर्ज हुई है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी लिखित बहस में राजस्थान काश्तकारी अधिनिय की धारा 53 से स्थिति स्पष्ट है कि सभी खाते अलग अलग खातेदारों के नाम पर है इस लिये राजस्व अभिलेखों में खाता भगवानलाल के वारिसानों के नाम पर हैं। एक खाता बरदीचन्द के नाम पर है। एक खाता शंभुलाल के नाम पर है एक खाता शिवलाल के नाम पर है। खाते भी अलग अलग है व खातेदार भी अलग अलग है। आराजी नम्बर भी भिन्न भिन्न है। इस लिये पक्षकारान एक जैसे नही है इसलिये धारा 53 का उपबद्ध 5 लागु होगा। भगवानलाल ने स्वअर्जित सम्पति के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज विक्रय, दानपत्र, वसीयतनामा आवंटन पट्टा पेश नही किया है।

लगातार पेज संख्या 06 पर

Scanned by CamScanner

जिससे भगवानलाल की स्वअर्जित सम्पति होना स्पष्ट हुआ हो। वादीगण के प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्डसे यह जायदाद जगन्नाथ की खाते की पुश्तैनी जायदाद हैं। जिसमे वादीगण का बराबर हक हिस्सा है। वाद पत्र में जमाबन्दी में भगवानलाल की मृत्यु के पश्चात जमाबन्दी में जो भी खातेदार है उन वारिसान को पक्षकार बनाया गया हैं। वादीगण एवं उनकी माता जगनाथ की पत्नि किशनी बाई जायदाद में ऐसे शेयर धारक जो खातेदार होते हुये उनका नाम बहैसियत राहकाश्तकार के वादग्रस्त जायदाद में दर्ज नही किया गया। वादीगण को पुरा अधिकार है कि वह तय करे की अपने हिस्से की सम्पति का हिस्सा प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करनी है और किससे हिस्सा लेने के अधिकार को सुरक्षित रखना हैं। क्योंकि वह जब चाहे तब दावा कर सकती है या अपना हिस्सा अपनी स्वेच्छा से सस्नेह हिस्सा छोड़ सकती है। ऐसाकरने पर कोई रोक नही है। वह सीधे तोर पर रकम प्राप्त कर प्रदत खाते धारक को बिना आपति के छोड सकती है इसलिये प्रतिवादीगण की इस आपति पर वाद खारिज नही किया जा सकता हैं कि वादीगण दुसरे भाईयों कि खाते में दर्ज भूमि में हिस्सा लेने के लिये वाद नही लाई है। यह आपति कोई कानूनी रूप से उठाई ही नही जा सकती है। प्रतिवादीगण ने एक और आधारहीन विधि विरूद्ध आपति की है कि धारा 53 रा0टी0एक्ट में यह प्रावधान है कि सभी जोतो का वाद एक साथ लाया जायेगा। इसका आशय है कि यदि एक ही मौजे में तहसील में या जिले में अलग अलग खाते है तो उन सभी का बटवाड़ा एक ही वाद द्वारा लाया जाना चाहिए यह व्यवस्था आदेशात्मक नही किन्तु निदेशात्मक है। जो आवश्यक पक्षकार है इस सहशेयर को छोड़ा गया है। इस प्रकरण में जो हिस्सा रखते हुए भी सभी खातेदार नही है उसमें वादीगण व उनकी माता जगन्नाथ पत्नि है जो प्रकरण में पक्षकार है। वादीगण की माता को प्रतिवादीगण बनाया हुआ है। प्रतिवादीगण वादीगण को उनके पुश्तैनी जायदाद में बनने वाले हिस्से को देने से इन्कार नही कर सकते है न ही प्रतिवादीगण यह बहाना कर सकते है कि दुसरे भाईयो से वादीगण हिस्सा नही ले रही है। इसलिये उनसे भी हिस्सा नही ले सकती है। वादीगण प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा है।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा राजस्थान उच्चतम न्यायालय देहली के निर्णय प्रकाश बनाम फूलवती 2016 (2) आर.एल.डब्ल्यू पेज सं0 1337 पेश कर निवेदन किया है उतराधिकार अधिनियम 1956 में सन् 2005 में हुये संशोधनों से जिन पुत्रियों के पिता की मृत्यु सन् 2005 के संशोधन अधिनियम के बाद हुई हैं। वे पिता की पुश्तैनी जायदाद के हकदार हैं। कि लिखित बहस प्रस्तुत की जिसके प्रति उत्तर में वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 फरवरी 2018 को डबल बेंच के दो न्यायाधीश द्वारा दायनमा उर्फ सुमन बनाम अमर और अन्य में निर्णय पारित करते हुए पुत्रियों का जन्म से पिता की पुश्तैनी जायदाद में पुत्रों की तरह अधिकार माना गया हैं। यह वर्ष 2018 में इस बिन्दू पर दिया गया निर्णय है जिसमें प्रकाश बनाम फुलवती का निर्णय तो प्रतिवादीगण ने पेश किया उस पर विचार कर यह निर्णय दिया हैं। सन् 2018 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात यह स्पष्ट हैं कि लड़कियों को अपने पिता की सम्पतित में पुत्रों की तरह समान अधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय के उक्त रूलिंग की फोटो प्रति संलग्न पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया बहस में निम्नांकित बिन्दूओं का अंकन किया गया।

वादग्रस्त भूमि जिसका दावा वादीया लेकर आयी है वह स्वर्गीय जगन्नाथ की जायदाद होना बताकर इन्तकाल संख्या 6 दिनांक 26.12.1975 से जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात् विरासत से खोले गये नामान्तरण से वादीयागण को खातेदार नही बनाये जाने का मुख्य आधार बाद में लिया गया।

वादीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण को किसी सक्षम न्यायालय में चुनोती नहीं दी गयी हैं। जगन्नाथ के सभी कृषि भूमि को वाद पत्र में सम्मिलित नही किया गया जिससे वाद चलने योग्य नही हैं। यह सही है कि जगन्नाथ के बरदीचन्द, शिवलाल व शम्भुलाल पुत्र भी हैं। जिनके नाम स्वर्गीय जगन्नाथ की जायदाद खाते में दर्ज हुई हैं। जिस प्रकार वाद में वर्णित आराजीयात जो स्वर्गीय भगवानलाल के नाम दर्ज है में वादीया अपना हिस्सा क्लेम करके आयी हैं। उसी प्रकार बरदीचन्द, शम्भुलाल, शिवलाल के खाते में दर्ज आराजीयात में भी वादीयागण का तथाकथित हिस्सा बनता हैं। जिसे भी इसी वाद में सम्मिलित किया जाना चाहिए था वादीयागण का यह तर्क कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 उपनियम 5 के तहत पक्षकार समान होने पर ही एक दावा पेश होगा। इस प्रकरण में भी पक्षकार समान ही है। स्वर्गीय जगन्नाथ व वादीयागण समान होकर भगवानलाल के समान फूट स्टेप पर ही बरदीचन्द, शिवलाल, शम्भुलाल है इस प्रकार वादीयागण अपने पिता स्वर्गीय जगन्नाथ की जमीन में हिस्सा चाह रही हैं। और यह जायदाद चार हिस्सों में विभक्त हुई है ऐसी स्थिति में एक भाग (भगवानलाल) के हिस्से में आयी जायदाद की स्थिति भी बरदीचन्द, शम्भुलाल, शिवलाल के समान स्थित है। इस कारण समान पक्षकार ही कहे जायेगें। केवल नाम बदलने से पक्षकार अलग नहीं माने जा सकते हैं। सभी की स्टेण्डिग समान (भगवानलाल व उनके सभी भाई) हैं।

लगातार पेज संख्या 07 पर

Scanned by CamScanner

1 यह वाद पत्र आधा अधुरा होकर जगन्नाथ की सभी जायदाद व सभी वारिसान को सम्मिलित किये बिना पेश किया गया हैं। जो चलने योग्य नही हैं। धारा 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार समान पक्षकार से आशय है कि सभी पक्षकारों के समान अधिकार व हक होने की स्थिति में एक ही वाद पत्र पेश होगा जिसका उद्देश्य हैं कि विवाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादीया द्वारा इस वाद पत्र में बरदीचन्द, शिवलाल व शम्भुलाल की जायदाद को सम्मिलित नही कर केवल भगवानलाल की जायदाद बाबत् वाद पत्र पेश किया हैं। जो यह दर्शाता है कि वादीयागण स्वर्गीय जगन्नाथ की जायदाद के उत्तराधिकारी के आधार पर वाद लेकर नही आयी बल्कि केवल भगवानलाल की जायदाद को हड़पने की गर्ज से दावा पेश किया हैं। अपरोक्ष रूप से जगन्नाथ जी की विरासत का इन्तकाल नम्बर 6 दिनांक 26.12. 1975 में बरदीचन्द, शम्भुलाल व शिवलाल के पक्ष में निर्णित उक्त नामान्तरण वादीयागण को स्वीकार है। केवल भगवानलाल के हक में आयी जायदाद के कारण ही वादीयागण से आपत्ति हैं। वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 26.12.1975 से पूर्व हो चुकी थी और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 संशोधित अधिनियम 39/2005 के तहत विधि का यह संशोधन हो चुका है कि दिनांक 09 दिसम्बर 2005 जब से यह संशोधन प्रभावी हुआ के बाद यदि सहदायिकी खातेदार जीवित है तब ही धारा 6 के तहत वादीयागण अपने पिता की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने की उत्तराधिकारी हैं। इस संशोधन के तहत यदि सहदायिकी खातेदार की मृत्यु संशोधन से पूर्व हो चुकी हैं तो धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम प्रभावी नही होगे। धारा 6 Hindu Succession Act के संशोधन संख्या 39/2005 के तहत संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार दिये गये हैं। इससे पूर्व अर्थात जब से यह संशोधन प्रभावी हुआ (9 सितम्बर 2005) से पूर्व पुत्रियों को कोई अधिकार नही होगें इस प्रकरण में खातेदार जगन्नाथ की मृत्यु संशोधन 39/2005 से काफी पहले हो चुकी थी। इस कारण धारा 6 हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के संशोधन अनुसार वादीयागण कोई खातेदार अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नही हैं। वाद ग्रस्त जायदाद का विभाजन भी जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 21.04.1983 को अर्थात सन् 2005 से पहले हो चुका था। इस कारण उक्त संशोधन के तहत् यह विभाजन अप्रभावी रहेगा। इस बाबत् माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय 2016 (2) आर एल डब्ल्यू पेज नं0 1337 सिविल अपील संख्या 7217/2013 निर्णय दिनांक 16.10.2015 प्रकाश बनाम फूलवती अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।

हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6 (2005 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित) यहदायिकी सम्पति में पुत्री का अधिकार 09 सितरम्बर 2005 को जीवित सहदायिकों की जीवित पुत्रियों पर संशोधन के तहत अधिकार लागू होते हैं। भले ही ऐसी पुत्रियों का जन्म कभी भी हुआ हो– संशोधन भावी है– अभिनिर्धारित – 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व हुआ विभाजन अप्रभावी रहेगें।

वादग्रस्त आराजीयात जगन्नाथ पिता सोला धाकड़ की पुश्तैनी आवश्यक है, किन्तु वादीयागण का हक अधिकार पुश्तैनी जायदाद में नहीं है जगन्नाथ की मृत्यु के बाद विवादित जायदाद के सह अंशदायी भगवानलाल बरदीचन्द शिवलाल शम्भुलाल ही थे और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित 2005 की धारा 6 का प्रभाव भूतलक्षी नही होकर संशोधित दिनांक 09 सितम्बर 2005 को पश्चात् की स्थिति पर प्रभावी है जीवित पुत्रियों को अधिकार 9 सितम्बर 2005 के संशोधन से यह अंशदायी के रूप में प्राप्त होते है किन्तु राजस्व रेकार्ड सम्बत् 2035 से 2038 की जमाबन्दी में ही जगन्नाथ खातेदार के सह अंशदायी भगवानलाल बरदीचन्द शिवलाल शम्भुलाल होकर उनके मध्य विभाजन 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व (यानि सन् 1983) हो चुका था इस कारण उक्त संशोधन के तहत वादीयागण किसी भी प्रकार अपने अधिकार स्थापित करने की अधिकारिणी नही होकर राजस्व रेकार्ड में किया गया अंकन अपरिवर्तनीय होकर वादीया उसमे किसी प्रकार के परिवर्तन के बाबत् घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी नही हैं। इस वाद पत्र के साथ संलग्न वाद संख्या 50/2003–43/2010 अनुवानी जड़ाव बाई बनाम नन्दु के खातेदार भगवानलाल की आराजीयात में वादीगण ने 1/2 हिस्सा चाहा है चूंकि वादी संख्या 1 भगवानलाल की विवाहिता पत्नि है इस तथ्य को प्रतिवादीगण ने इन्कार नही कर स्वीकार करते हुये कथन किया कि वादीया संख्या 2 व 3 भगवानलाल की पुत्रिया है किन्तु विवाह विच्छेद हो जाने का कथन जवाब दावे में लिया गया है वैध रूप से विवाह विच्छेद की कोई डिक्री का निर्णय पेश नही हुआ है। मु0 नन्दु के बयानों में यह भी आया है कि भगवानलाल के जीवन काल तक वादीया नं0 1 व प्रातिवादी नं0 1 दोनों पत्निया भगवानलाल के साथ उनकी पत्नि के रूप में रही हैं। इस कारण वादीया विवाहिता पत्नि होने व वादीया नं0 2 व 3 भगवानलाल की वैध सन्ताने होने से 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है इस कारण वादीयागण का वाद उनके पक्ष में निर्णित किये जाने योग्य हैं।

लगातार पेज संख्या 08 पर

Scanned by CamScanner

उक्त वाद पत्र संख्या 33/2010 राजस्व वादीयागण का खारिज फरमाया जावें व उक्त वाद पत्र के साथ संलग्न (क्लब) वाद पत्र जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत है।जिसके प्रकरण संख्या (50/2003–43/2010) अनुवान जड़ाव बाई बनाम नन्दु वगैरह को वादीगण जड़ाव बाई के पक्ष में निर्णित फरमा वादग्रस्त जायदाद के 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार वादीयागण को घोषित करा विभाजन की डिक्री जारी फरमायी जावे।

हमने पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजात दोनों पक्षो के गवाहान, व संलग्न लिखित बहसों का मनन किया। तनकीवार विवेचन निर्णय इस प्रकार है चुंकि तनकी सं0 1, 2, 3, समान प्रकृति की होकर वादीयागण के जिम्मे होने व पुनरावृत्ति से बचने के लिये तीनों तनकीयो का विवेचन व निर्णय एक साथ किया जा रहा हैं।

तनकी नं0 1 – आया मौजा सुखपुरा स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 126, 127, 298/2, 407/1, 432/1, 211/1, 212, 441/1, 431 मी, 466/291, 81, 182, 189, 299, 319, 320, 431, 468/409 वादियान के पिता स्व0 जनागथ धाकड के खाते के होने से वादियान का 1/2 हिस्से की खातेदार है।

.....जिम्मे वादीयान

तनकी नं0 2 – आया इन्तकाल संख्या 6 दिनांक 26.12.75 से कुलिया भूमि केवल बरदीचन्द शंभुलाल शिवलाल भगवानलाल के नाम पर गलत खोला गया है।

.....जिम्मे वादीयान

तनकी नं0 3 – आया प्रतिवादी नं0 8 ने अभिलिखित खातेदारान के साथ कुसंयोजन कर सरजार्च से बचने के लिये भूमि अलग अलग खाते में दर्ज की गयी जो अवैध व शून्य प्रभावी हो वादीयान हिस्सा पाने की अधिकारिणी है।

.....जिम्मे वादीयान

तनकी नम्बर 1 में वादियागण ने अपने पिता स्वर्गीय जगन्नाथ धाकड़ के खाते में दर्ज आराजीयात में 1/5 हिस्से (त्रुटिवंश 1/2 हिस्सा) के खातेदार होने की घोषणा चाही है। वादीयागण ने इस तनकी को साबित करने के लिये जमाबन्दी प्रदर्श 3 का अवलोकन कराते हुये बताया कि इसमें अंकित आराजीयात का खातेदार उनका पिता जगन्नाथ पिता सोला धाकड़ थे। जो कुल किता 19 रकबा 62 बीघा 5 बिस्वा बाबत् हैं। तथा प्रदर्श–1 जमाबन्दी तत्कालीन समये की सम्वत् 2056 से 2059 पेश की गयी एवं प्रदर्श –2 भूप्रबन्ध के तत्काल बाद जमाबन्दी सवत् 2028–2031 प्रदर्श–2 के रूप में पेश की गई हैं। इन तीनों जमाबन्दीयों को संयुक्त रूप से देखे जाने पर यह प्रकट हो रहा हैं कि वादीगण ने प्रदर्श–3 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मे से अपने हिस्से की मांग नही कर कुछ आराज़ी नं0 में से ही अपने हिस्से की मांग की हैं। चुंकि प्रदर्श –3 के अनुसार खातेदार जगन्नाथ के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 26.12.1975 को उसके चारों पुत्रों के नाम दर्ज किया गया हैं। इसके उपरान्त प्रदर्श–1 जमाबन्दी सं0 2056 से 2059 अकेले भगवानलाल पिता जगन्नाथ के खातेदारी की जमाबन्दी पेश की गई हैं जबकि अन्य भाई बरदीचन्द, शम्भुलाल, शिवलाल के जमाबन्दी की नकले वादीगण द्वारा पेश नही की गई हैं। इन्तकाल नं0 6 से जगन्नाथ की समस्त जायदाद चारों पुत्रो के नाम अभिलिखित हुई हैं एवं वादीयागण का दावा केवल भगवानलाल के नाम दर्ज आराजीयात प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 में वर्णित आराजीयात के बाबत् पेश हुआ हैं। वादियागण अपने आपको जगन्नाथ की पुत्रियों के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा का वाद पत्र लेकर आयी हैं। ऐसी स्थिति में प्रदर्श–3 में वर्णित आराजीयात जो शेष प्रतिवादी नं0 9.1, 9.2, 9.3 के नाम अंकित हुई हैं। को वाद पत्र में सम्मिलित नही कर प्रदर्श 3 में वर्णित आराजीयात में से कुछ आराजी नं0 मे से ही अपने हिस्से की मांग की है जो अस्पष्ट हैं। वादीयागण ने प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 में वर्णित आराजीयात में से कुछ आराजी ही प्रदर्श–3 में वर्णित आराजीयात हैं। शेष अन्य आराजीयात के बाबत् पुश्तैनी होने के तथ्य को साबित नही करवाया हैं। इस प्रकार प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 में वर्णित समस्त आराजीयात् के पुश्तैनी होने के तथ्य को वादियागण साबित नही करा सकी हैं। इस कारण तनकी नं0 1 के अनुसार वादियागण वादग्रस्त आराजीयात में अपना 1/5 हिस्सा होना सिद्ध कराने में असफल रही हैं। इसके अलावा धारा 6 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के संशोधन संख्या 39/2005 के तहत् संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति में पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार दिये गये हैं संशोधन का प्रभाव भावी है संशोधन 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व हुये विधिवत् विभाजन पर लागू नही होगा। और खातेदार जगन्नाथ की मृत्यु संशोधन से काफी पहले हो चुकी थी एवं सम्पति का विभाजन भी जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 इन्तकाल नं0 106 दिनांक 21.04.1983 को अर्थात संशोधन से पहले हो चुका था तो ऐसी जायदाद में वादीयागण कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नही हैं। इस प्रकरण में वादग्रस्त जायदाद का विभाजन की जमाबन्दी प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार सन् 2005 से पहले हो चुका था। इस कारण वादीयागण इस संशोधन का लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियाँ जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 09 पर

Scanned by CamScanner

उक्त संशोधन के तहत् यह विभाजन अप्रभावी रहेगा इस बाबत् प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय 2016 (2) आर एल डब्ल्यू पेज नम्बर 1337 सिविल अपील संख्या 7217/2013 निर्णय दिनांक 16.10.2015 प्रकाश बनाम फूलवती में प्रतिपादित किया– हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6 (2005 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित) सहदायिकी की सम्पति में पुत्री का अधिकार– 09 सितम्बर 2005 को जीवित सहदायिकों की जीवित पुत्रियों पर संशोधन के तहत् अधिकार लागू होते हैं भले ही ऐसी पुत्रियों का जन्म कभी भी हुआ हो – संशोधन भावी हैं– अभिनिर्धारित– 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व हुआ विभाजन अप्रभावी रहेगा।

इस प्रकरण में कुछ वादग्रस्त आराजीयात जगन्नाथ पिता सोला धाकड़ की पुश्तैनी अवश्य हैं किन्तु वादीयागण का कोई हक अधिकार पुश्तैनी जायदाद में नहीं हैं। जगन्नाथ की मृत्यु के बाद विवादित जायदाद के सह अंशदायी भगवान लाल, बरदीचन्द, शिवलाल, शम्भुलाल ही थे और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम संशोधित 2005 की धारा 6 का प्रभाव भूतलक्षी नही होकर संशोधित दिनांक 09 सितम्बर 2005 के पश्चात् इस तिथी पर प्रभावी हैं जीवित पुत्रियों को अधिकार 09 सितम्बर 2005 के संशोधन से सह अंशदायी के रूप में प्राप्त होते है किन्तु राजस्व रेकॉर्ड सम्वत् 2035 से 2038 की जमाबन्दी में ही जगन्नाथ खातेदार के सह अंशधारी भगवानलाल, बरदीचन्द, शिवलाल, शम्भुलाल होकर उनके मध्य विभाजन 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व (यानि सन् 1983) हो चुका था इस कारण उक्त संशोधन के तहत् वादीयागण अपने अधिकार स्थापित करने की अधिकारिणी नही हैं।

वादियागण की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 फरवरी 2018 को डबल बेंच द्वारा Danamma @ Suman Surpur and ANR V/s. Amar and Ors. में पारित निर्णय का अवलोकन किया गया किन्तु इस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त इस कारण लागू नही होते है क्योंकि वादीयागण ने जिन आराजीयात बाबत् खातेदारी चाही है उनका विरासत से जगन्नाथ के अन्य पुत्रों के नाम से दर्ज होकर तथा विधिवत विभाजन होकर प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 में सम्मिलित नही हैं। व प्रदर्श 3 के अवलोकन से इन्तकाल नं0 16 व 38 के अंकन से यह प्रकट हो रहा है कि दिनांक 20.12.1976 व 4.12.1978 को इन आराजीयात में से कुछ आराजीयात का विक्रय छीतरलाल पिता भवाना धाकड़ और मांगीलाल, सुगनलाल पिता कन्हैयालाल के नाम हो चुका हैं। जिन्हे इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया हैं। इस प्रकार प्रदर्श–3 में वर्णित आराजीयात विक्रय के द्वारा व विरासत के द्वारा अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हो गयी है उसको न तो चुनौती दी गयी है और न ही वादपत्र से सम्मिलित किया गया है। केवल मात्र भगवानलाल के नाम पर दर्ज की गयी आराजीयात जो प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 में वर्णित है मे ही खातेदारी चाही है इसमें पुश्तैनी आराजीयात कौन–कौन सी है इस तथ्य को वादीयागण ने अपने दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य व वादपत्र के अभिवचनों से सिद्ध नही करवाया हैं। जिसे सिद्ध करने का भार तनकी नं0 1 के अनुसार वादीयागण पर था। उक्त विवेचन के अनुसार तनकी नं0 1 को सिद्ध कराने में वादीयागण पूर्णतया असफल रहे है इस कारण तनकी नं0 1 वादीयागण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

इसी सन्दर्भ में तनकी नं0 2 में निर्णित किया गया नामान्तरकरण सं0 6 है जिसके द्वारा जगन्नाथ की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है इस नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील नही की गयी है और इस वाद के द्वारा नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। किन्तु अपने पिता जगन्नाथ की सभी कृषि भूमि को वाद पत्र में सम्मिलित नही किया गया है केवल भगवानलाल के नाम जो आराजीयात दर्ज की गयी है उसी में से अपना हिस्सा वादीयागण चाहते है किन्तु बरदीचन्द, शम्भुलाल, शिवलाल के खाते में दर्ज आराजीयात बाबत् कोई क्लेम नही किय गया हैं। इस कारण यह दावा भी चलने योग्य नही होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 उपधारा 5 व धारा 92 के अनुसार विवाद के समुचित निस्तारण में एक ही वादपत्र पेश किये जाने के प्रावधान है जो वादीयागण द्वारा पेश नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण सं0 6 को वादपत्र के द्वारा गलत निर्णित किया जाना नही माना जा सकता है इस प्रकार उक्त तनकी नं0 2 भी वादीयागण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

इसी क्रम में तनकी नम्बर 3 के द्वारा वादीयागण को यह सिद्ध कराना था कि भूमिधारी ने खातेदारान के साथ कुसंयोजन कर वादग्रस्त भूमि अलग–अलग खाते में दर्ज की है इस बाबत् वादीयागण ने वादपत्र में या दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य द्वारा इस आरोप को सिद्ध नहीं करवाया है। वादीयागण का यह दायित्व था कि वह अपने पिता जगन्नाथ की समस्त आराजीयात का विरासत से या विक्रय से जिन– जिन व्यक्तियों के नाम भूमि दर्ज हुयी है उन सभी को सम्मिलित कर अपना हिस्से की आराजीयात को सिद्ध करवाते किन्तु वादीयागण ने उपलब्ध दस्तावेज से इस तथ्य को सिद्ध नही करवाया है इस कारण तनकी नम्बर 3 भी वादीयागण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

खण्ड अधिकारी
...लियाँ जि ...

लगातार पेज संख्या 10 पर

Scanned by CamScanner

तनकी नं0 4 – आया स्व0 भगवानलाल की मृत्यु हो जाने से विवादास्पद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम पर किये जाने के प्रतिवादी नं0 8 के प्रयास अनुचित है।

.....जिम्मेवादीयान

इस तनकी को साबित करने का भार वादीयागण के जिम्मे है। चूंकि प्रतिवादी नं0 8 भूमिधारी हो राजस्व रेकॉर्ड को संधारित करने और उनकी प्रविशिष्टियों का अंकन करना व मृतक व्यक्तियों का विधिनुसार उतराधिकारियों की जांच कर मृतक के स्थान पर उनके वारीसो का नाम अंकन करने का दायित्व है। इस प्रकार के कार्य को अनुचित नही माना जा सकता है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 स्वर्गीय भगवानलाल के वारीसान है इस तथ्य को चुनौती नही दी गयी है और न ही वादीयागण के साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि प्रतिवादी नं0 1 से 7 स्वर्गीय भगवानलाल के वारीस नही हो। इस स्वीकृत तथ्य के अनुसार प्रतिवादी नं0 8 के द्वारा की गयी प्रविशिष्टियों को अनुचित नही माना जा सकता हैं। इस कारण तनकी नं0 4 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

तनकी नं0 5 – आया वादीयान के वादग्रस्त जायदाद मे 1/2 हिस्से को विलोपीत रखने का प्रयास अनुचित हो भूमि के अन्तरण किये जाने का कृत्य अवैध व अनुचित होने से स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

.....जिम्मेवादीयान

इस तनकी को साबित करने का भार वादीयागण के जिम्मे है चूंकि तनकी नंम्बर 1 के द्वारा वादग्रस्त जायदाद में वादीयागण अपना हिस्सा सम्बन्धित सभी आराजीयात में पुश्तैनी होने के तथ्य को प्रमाणित कराये जाने में असफल रही हैं इस कारण राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज किये जाने की घोषणा कराये जाने का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है इस कारण किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी भी वादियागण नही होकर तनकी नं0 5 वादीयागण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

तनकी नं0 6 – आया वादग्रस्त जायदाद का खाता परिवर्तन हुये 27 साल हो चूके है। उसका वाद पर क्या प्रभाव है।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण के उपर था क्योंकि यह वाद वादीयागण द्वारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने अधिकारों की घोषणा बाबत् पेश किया गया है जिसकी समय सीमा वैधानिक रूप से निर्धारित नहीं होकर कभी–भी अधिकारों की घोषणा का वाद पत्र पेश किया जा सकता हैं। इस प्रकरण में खाता परिवर्तन हुये 27 वर्ष या इसके अधिक का समय हो चुका है किन्तु यदि वादीयागण अपना स्वामित्व सिद्ध कराये जाने में सफल होते तो गुजरी लम्बी अवधि का उनके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार प्रतिवादीगण की यह आपति की खाता परिवर्तन हुये 27 वर्ष हो चुके हैं इस कारण वादपत्र चलने योग्य नहीं हो, यह तर्क कानून सम्मत नही है। प्रतिवादीगण ने भी अपनी साक्ष्य या बहस में इस बिन्दु पर कोई तर्क या वैधानिक स्थिती इस न्यायालय के समक्ष पेश नही की है इस कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है चुंकि पूर्व की तनकीयात में वादीयागण ने अपने स्वामित्व व खातेदारी को सिद्ध नही करवाया है इस कारण इस तनकी के निर्णय से वादपत्र पर उसका कोई प्रभाव नही हैं।

तनकी नं0 7 – आया स्व0 भगवानलाल के वैध वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक होने से उनके नाम पर खाता खोला जाना वैध है।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण 1 से 3

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के जिम्मे है। तथा इस वादपत्र के साथ संलग्न प्रकरण संख्या 43/2010 हैं। जो भगवानलाल की आराजीयात के खातेदारी घोषणा व विभाजन के अनुतोष की प्राप्ति हेतु पेश किया गया है। इस वादपत्र में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने भगवानलाल की जायदाद में अपना 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 4 से 7 का 1/2 हिस्सा का अभिवचन व अनुतोष चाहा है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 यह अभिस्वीकृति है कि भगवानलाल के वारीसान प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 है और प्रकरण संख्या 43/2010 में पेश की गयी जमाबन्दी प्रदर्श 1 में व प्रकरण संख्या 33/2010 में पेश की गयी जमाबन्दी प्रदर्श–1 में वर्णित आराजीयात जो खातेदार भगवानलाल के नाम अभिलिखित है के वारीसान केवल प्रतिवादी सं0 1 से 3 न होकर प्रतिवादी सं. 1 से 7 है और उनके नाम ही स्वर्गीय भगवानलाल के विरासत का खाता खोला जाना चाहिये। न की केवल प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की अभिस्वीकृति के आधार पर यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

लगातार पेज संख्या 11 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियाँ जि.-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

तनकी नं0 8 – आया वादग्रस्त जायदाद स्व0 भगवानलाल की स्वअर्जित सम्पति है ।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण 1 से 3

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के जिम्मे है। प्रस्तुत जमाबन्दी जो वादीयागण द्वारा प्रदर्श 2 व 3 पेश हुई उसमें वर्णित आराजी नम्बर प्रदर्श 3 में वर्णित आराजीयात जो भगवानलाल के पिता जगन्नाथ के आराजीयात से भिन्न है। इस प्रकार प्रदर्श– 3 में वर्णित आराजीयात जो प्रदर्श 2 व 3 में भी है के अलावा अन्य आराजीयात जगन्नाथ पिता सोला की नही होकर भगवानलाल को विरासत में प्राप्त नही हुई है। अर्थात पुश्तैनी नही है इस कारण यह अवधारणा है कि भगवानलाल के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजीयात में जो उसके पिता जगन्नाथ की नहीं है। वह भगवानलाल की स्वअर्जित आराजीयात है। इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के जिम्मे उक्तानुसार निर्णित की जाती हैं। क्योकि वादीगण को यह साबित कराना था कि वादग्रस्त आराजीयात में कौन सी आराजी पुश्तैनी है जो वादीयागण ने तनकी नम्बर 1 के निर्णय अनुसार सिद्ध नही करवाया है इस कारण तनकी नं0 1 वादीयागण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से तनकी नं0 8 का निर्णय इस अंश तक आंशिक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 9 – आया बरदीचन्द, शंभुलाल, शिवलाल प्रकरण में आवश्यक पक्षकार मुकदमा है।

.....जिम्मे प्रतिवादीगण 1 से 3

उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के जिम्मे थी चुंकि बरदीचन्द, शम्भुलाल व शिवलाल भी वादीयागण के भाई होकर जगन्नाथ पिता सोला के पुत्र है तथा वादीयागण ने जगन्नाथ पिता सोला के वारीस होने के आधार पर घोषणात्मक डिक्री चाही थी तथा जगन्नाथ की जायदाद का नामान्तरकरण संख्या 6 प्रदर्श 3 के अनुसार भगवानलाल के अलावा बरदीचन्द, शम्भुलाल व शिवलाल के नाम निर्णित किया गया था इस कारण वादीयागण को अपने अधिकारों की घोषणा बरदीचन्द, शम्भुलाल व शिवलाल के मुकाबले व उनके नाम दर्ज की गयी। आराजीयात के बाबत् करना था जो प्रकरण में उनकों पक्षकार बनाये बिना सभी विवाद बिन्दुओं का समुचित विनिश्चय सम्भव नही हो सकता हैं। यदपि प्रकरण में बरदीचन्द, शम्भुलाल व शिवलाल प्रतिवादी संख्या 9.1, 9.2. 9.3 के रूप में सम्मिलित है किन्तु वे उनकी माता प्रतिवादी संख्या 9 किशनी के मृत्यु उपरान्त कायम मुकाम के रूप में दर्ज किये गये है। उनको व्यक्तिगत रूप से पक्षकार नही बनाकर उनकी आराजीयात जो जगन्नाथ से प्राप्त हुई है को सम्मिलित नही किया गया है। इस कारण प्रकरण के अभिवचनों व चाहे गये अनुतोष के मुकाबले बरदीचन्द, शम्भुलाल व शिवलाल प्रकरण में आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। जिनके बिना प्रकरण का अन्तिम विनिश्चन सम्भव नही था इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः वादपत्र संख्या 33/2010 में तनकी नम्बर 1 लगायत 5 वादीयागण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से वादीयागण किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारिणी नही होकर वादपत्र प्रतिवादीगण के मुकाबले खारिज किया जाता है। तथा संलग्न वाद संख्या 43/2010 को डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी नम्बर 126 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा आराजी नम्बर 127 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा आराजी नम्बर 298/2 रकबा 3 बीघा आराजी नम्बर 407/2 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 432/1 रकबा 1बीघा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 433/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 211/1 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा आराजी नम्बर 212 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 441/1 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी नम्बर 431 मी0 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी नम्बर 466/291 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 33 बीघा 15 बिस्वा भूमि में श्रीमति जड़ाव बाई व नन्दूबाई पत्नि भगवान लाल को 1/6 हिस्से तथा श्रीमति चन्दा, श्रीमती फोरी, ममता, सुगना, सत्यनारायण पिता भगवान लाल प्रत्येक को 1/6 –1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रेकार्ड में तदनुसार अंकन किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 03.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या (380/01)
33/2010

अनवान

1. मोडी पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी सुखपुरा हाल माजीसाहब का खेडा तहसील बिजौलियां
2. प्रेम पुत्री जग्गनाथ पत्नि हरिशंकर जाति धाकड़ उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी सुखपुरा हाल छोटी बिजौलियां
3. पार्वती पुत्री जग्गनाथ जाति धाकड उम्र बालिग पत्नि शंकर व्यवसाय खेती निवासी सुखपुरा हाल लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां

.....वादीगण

बनाम

1. जडावबाई पत्नि स्व0 भगवानलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क नि0 नयागांव।
2. मु0 चंदा पुत्री भगवानलाल जाति धाकड़ उम्र बालीग नि0 चॉदजी की खेडी।
3. मु0 फोरी पुत्री भगवानलाल जाति धाकड उम्र बालीग नि0 नयागांव।
4. नन्दू पत्नि भगवानलाल जाति धाकड उम्र बालीग निवासी सुखपुरा।
5. ममता पुत्री भगवानलाल जाति धाकड उम्र बालीग निवासी सुखपुरा मार्फत संरक्षिता एवं माता श्रीमति नंदू बैवा भगवानलाल जाति धाकड निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया
6. सुगना पुत्री भगवानलाल जाति धाकड उम्र नाबालीग निवासी सुखपुरा मार्फत संरक्षिका एवं माता नंदू बैवा भगवानलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सुखपुरा तहसील माण्डलगढ।
7. सत्यनारायण पिता भगवानलाल जाति धाकड उम्र नाबालीग निवासी सुखपुरा मार्फत संरक्षिका एवं माता नंदू बैवा भगवानलाल जाति धाकड।
8. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार भूमिधारी बिजौलियॉ
9. श्रीमती किसनी बाई विधवा जग्गनाथ जाति धाकड़ उम्र बालीग निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया।

9/1 बरदीचन्द पुत्र जग्गनाथ उम्र बालीग व्यवसाय खेती निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां।
9/2 शम्भुलाल पुत्र जग्गनाथ जाति धाकड उम्र बालीग निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां।
9/3 शिवलाल पुत्र जग्गनाथ जाति धाकड उम्र बालीग निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

डिक्री दिनांक :– 03.01.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तनकीयात के निर्णय के आधार पर खारिज किया जाता हैं तथा वादपत्र वादी संख्या 33/2010 में तनकीयात के निर्णय के आधार पर खारिज किया जाता हैं। तथा संलग्न वाद संख्या 43/2010 को डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी नम्बर 126 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा आराजी नम्बर 127 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा आराजी नम्बर 298/2 रकबा 3 बीघा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर 407/2 रकबा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 432/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 433/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 211/1 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा आराजी नम्बर 212 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 441/1 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी नम्बर 431 मी0 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी नम्बर 466/291 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 33 बीघा 15 बिस्वा भूमि में श्रीमती जड़ाव बाई व नन्दूबाई पत्नि भगवान लाल को 1/6 हिस्से तथा श्रीमती चन्दा, श्रीमती फोरी, ममता, सुगनी, सत्यनारायण पिता भगवान लाल प्रत्येक को 1/6 –1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रेकार्ड में तदनुसार अंकन किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil ..... बाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 01 वर्ष 2019 को जारी किया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

Scanned by CamScanner